न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 25/2023

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
भलाराम पुत्र श्री आसाराम जाति भील निवासी नेतराड तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेतराड		राजस्थान राज्य बजरिये तहसीलदार चौहटन

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2023 जो प्रकरण सं. 01/2023 मे तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 01/2023 सरकार बनाम भलाराम में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का नेतराड द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नेतराड के खसरा नम्बर 1215/658 रकबा 77–17 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर में 1020 वर्गफीट पर गैर सायल भलाराम द्वारा राजकीय भूमि पर दुकानों की नींव निर्माण कर [illegible] कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार [illegible] हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को [illegible] नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल के अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 27.06.2023 के द्वारा 1/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 13.07.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा नेतराड के खसरा नम्बर 1215/658 रकबा 77–17 बीघा का आया हुआ है जिसमें अस्पताल, विद्यालय भवन, पंचायत की आवासीय दुकाने बनी हुई है। अपीलकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकन निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अपीलकर्ता का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं उपरोक्त भूमि पर पटवार हलका द्वारा जो तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह जुगताराम पुत्र आसाराम के आवासीय मकान की भूमि है। अपीलकर्ता ग्राम पंचायत नेतराड का वर्तमान सरपंच है एवं अपीलकर्ता द्वारा किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण कार्य नहीं किया गया है। पटवार हल्का द्वारा द्वेष भावना से जुगताराम पुत्र आसाराम के आवासीय मकान दर्ज प्रकरण में अपीलकर्ता का नाम साथ में इन्द्राज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा किये गये मिथ्या कथनों के आधार पर वास्तविकता से परे जाकर अपीलकर्ता को अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो निरस्त योग्य है।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम नेतराड के गै0मु0 गोचर भूमि पर जुगताराम पुत्र आसाराम के आवासीय मकान होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि गैर मुमकीन गोचर दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.06.2023 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण या आधिपत्य नहीं है तो फिर अपीलाधीन आदेश उसके विरूद्ध प्रवर्तनीय ही नहीं है और न ही यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही किये है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2023 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested